न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 64 वर्ष 2024

आवेदक— विनोद महतो
ग्राम— सिंहपुर
थाना— कसमार जिला—बोकारो

केता— रूकिल देवी वगै0
ग्राम— डुमरकुदर
थाना— कसमार जिला—बोकारो

आदेश की क्रम सं0 तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
12/12/24	(see below)	

आदेश

यह वाद आवेदक श्री विनोद महतो, पिता—स्व0 रिदय महतो, वर्तमान पता—ग्राम—सिंहपुर, थाना—कसमार, जिला—बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः—

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
डुमरकुदर	129	08	331	88 डी0	15 डी0	रैयती धान खेत एक, वर्तमान स्वरूप धान खेत

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 60,000/—(साठ हजार) रूपये में क्रेता—1. रूकिला देवी पति—गणेश महतो, 2. पारू देवी पति—दुखन महतो वर्त्तमान पता—ग्राम—डुमरकुदर, थाना—कसमार, जिला—बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 246/रा0, दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक—589, दिनांक—25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः—

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला—बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में निमाय महतो के नाम से रैयती दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं0— 148/1, पर बोलाई महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2024—25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध वंशावली के आधार पर दादा का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू—हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में निमाय महतो के नाम से रैयती दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं0— 148/1, पर बोलाई महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2024—25 तक निर्गत है। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैंः—

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्र
छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्र

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम
कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसम प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं पिछड़ा वर्ग अतंर्गत आते हैं। बिकेता एवं केता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः श्री विनोद महतो, पिता–स्व0 रिदय महतो, वर्तमान पता–ग्राम–सिंहपुर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
डुमरकुदर 129	08	331	0.88 ए0	0.15 ए0	दुखु महतो	नीज क्रेता	प्रति नाला	विशुनचरण महतो
			कुल	15 डी0 (पंद्रह डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 60,000/–(साठ हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता 1. रूकिला देवी पति–गणेश महतो, 2. पारू देवी पति–दुखन महतो वर्त्तमान पता–ग्राम–डुमरकुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.02.24 13:08:14 +05:30
Location: 10.93.6.142